09.05.2026 **<u>प्रकरण आज दिनांक 09.05.2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक–16 में मेरे समक्ष पेश।</u>**

परिवादी सहित श्री जितेन्द्र गुलाटी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा श्री के.एल. पोरवाल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज राजीनामा चर्चा हेतु सुनवाई में लिया गया।

मूल अभिलेख माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मनासा के न्यायालय से प्राप्त।

प्रकरण में परिवादी ने राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर जवाब प्रस्तुत ना करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकर किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उक्त आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त व परिवादी का न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है एवं परिवादी को संपूर्ण ऋण राशि की अदायगी कर दी गई है जिससे परिवादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे यह दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा अभियुक्त से न्यायालय के बाहर आपसी राजीनामा होना व्यक्त किया है। परिवादी ने अपने आवेदन में यह भी व्यक्त किया है कि उसके व अभियुक्त के मध्य कोई लेन–देन शेष नहीं रहा है और उक्त आवेदन स्वेच्छया बिना किसी भय व दबाव के प्रस्तुत किया है, इसलिए परिवादी को राजीनामा के आधार पर प्रकरण को समाप्त करने की अनुज्ञा देने का पर्याप्त आधार दर्शित होता है। परिवादी अधिवक्ता परिवादी की ओर से उसके प्रकरण में राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति है।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र **<u>स्वीकार</u>** किया जाकर अभियुक्त **जगदीशचन्द्र पिता अम्बाराम पाटीदार निवासी दरबार एंड दरबार के पास, न्यू पाटीदार इलेक्ट्रिकल्स मनासा–मंदसौर रोड तहसील मनासा जिला नीमच म.प्र.** के विरूद्ध

एस.सी.एन.आइ.ए. प्रकरण क्रमांक 155/2022 अंतर्गत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण की कार्यवाही इसी प्रक्रम पर **समाप्त** की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **संजाबीज तारी विरूद्ध किशोर एस. बोरकार व अन्य, 2025 लिव लॉ (एस.सी.) 952** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में हस्तगत प्रकरण में परिवादी पर कोई शमन शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **हाई कोर्ट ऑफ मद्रास विरूद्ध एम.सी. सुब्रमण्यम (2021)3 एस.सी.सी. 507** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य न्यायालय के बाहर समझौता हो जाता है, तब भी वे न्यायालय फीस प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत में होने व उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में परिवादी द्वारा प्रकरण में प्रदत्त न्यायालय शुल्क **1000/—रूपये** के संबंध में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय शुल्क अधिनियम की धारा—35 के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन F.No,9-1-B- XX, dated 10th April, 1987 के अनुसार न्यायशुल्क विधि अनुसार वापस करने के संबंध में प्रमाणपत्र जारी हो।

अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

अभियुक्त ने विचारण के दौरान कोई भी न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत नहीं की है।

प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

पत्रावली मूल अभिलेख के साथ संलग्न की जावे।

आदेश पत्रिका सीआई.एस. में अपलोड की जावें।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक 16

—/सही/—
भूपेन्द्र आर्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील मनासा जिला नीमच

—/सही/—
सुलहकर्ता सदस्य
श्री रईस खान, अधिवक्ता

Bhupendra Arya

Digitally signed by Bhupendra Arya
Date: 2026.05.09 16:53:57 +0530